



2026:AHC:27122

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 692 / 2026

अदित्य शर्मा

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 4 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सतेंद्र कुमार गौतम, सुमित कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमित कुमार श्रीवास्तव तथा प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना गया।
2. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान रिट याचिका में आक्षेपित आदेश दिनांक 18.08.2025, जिसे चुनौती दी गई थी, 20.08.2025 को ही वापस ले लिया गया है, जिसकी प्रति पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 24 पर उपलब्ध है।
3. उक्त स्थिति को देखते हुए, रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता वर्तमान रिट याचिका को वापस लेना चाहते हैं और भविष्य में यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो पुनः न्यायालय की शरण लेने की स्वतंत्रता चाहते हैं।
4. उपरोक्त के दृष्टिगत, रिट याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज किया जाता है।

(विकास बुधवार, जे.)

5 फरवरी, 2026

एसएफएच

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"